

फॉर्म बी

[नियम 9(1), 10(2) (सी)]

प्रमाणपत्र के डाकघर से बैंक में तथा इसके विपरीत अंतरण के लिए आवेदन का फॉर्म

सेवा में,

शाखा प्रबन्धक,

.....
.....
.....

महोदय,

मैं/ हम निम्नलिखित विवरणों के अनुसार डाकघर/ बैंक द्वारा जारी किसान पत्र का धारक हूँ/ हैं:-

1. क्रम सं.
2. खरीद की तारीख
3. मूल्यवर्ग
4. पंजीकरण सं.
5. क्रम सं.
6. प्रमाणपत्र धारक का नाम

मेरा/ हमारा आपसे अनुरोध है कि कृपया इस प्रमाणपत्र(त्रों) को अपने डाकघर/ बैंक में जल्द से जल्द अंतरित करें.
इस आवेदन के साथ उपर्युक्त प्रमाणपत्र(त्रों) की प्रति संलग्न है.

मैं/ हम लागू अपने ग्राहक को जाने (केवाईसी) मानदंडों के अनुसार निम्नलिखित दस्तावेज़ प्रस्तुत करता हूँ/ करते हैं.

1. पहचान प्रमाणपत्र
2. आवासीय प्रमाणपत्र
3. पैन कार्ड की प्रति (यदि राशि रु. 50,000/- से अधिक है)

प्रमाणपत्र धारक के नमूना हस्ताक्षर

1.
2.
3.

भवदीय,

.....

नाम

पता.....